

# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092  
दूरभाष 011-22050061 ई-मेल: cbsegames@gmail.com

के.मा.शि.बो/खेल/2016

23.03.2016

परिपत्र संख्या शैक्षणिक 09/2016

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

स्वायत्त वर्ग विद्यालय

के.मा.शि.बो से संबद्ध

**विषय: के.मा.शि.बो. अंतर विद्यालय खेलकूद एवं क्रीड़ा प्रतियोगिताएं 2016-17: महत्वपूर्ण सूचना के संबंध में।**

महोदय/महोदया

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2016-17: के अन्तर विद्यालय खेल कूद एवं क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यक्त किया जाता है:

01. **नई प्रतियोगिता को शामिल किया जाना:** बोर्ड ने दो नई प्रतिस्पर्द्धाएं, यथा-मुक्केबाजी और कबड्डी, वुशु और कैरम के स्थान पर सम्मिलित की हैं। शुरू करने के लिए ये प्रतिस्पर्द्धाएं 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए आयोजित की जाएंगी।
02. **संशोधित आयु वर्ग:** अब से, बोर्ड 11, 14, 17 और 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए अपनी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। तथापि किसी भी प्रतिस्पर्द्धा में प्रतियोगिता केवल किसी भी एक आयु वर्ग में: दो आयु वर्ग में: अथवा अधिकतम तीन/चार आयु समूहों में आयोजित होंगी।
03. **संशोधित समूह और क्षेत्र:** भाग लेने वालों और प्रतियोगिता की विशिष्ट स्तर की प्रतिस्पर्द्धा की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इस संदर्भ में आवश्यक संशोधन किए हैं। विद्यालयों से परिशिष्ट-1 के अगले पृष्ठ पर/ संलग्न किए गए, के अनुसार उनका सही/नया समूह या क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है।
04. **प्रतियोगिता के आयोजन के लिए प्रस्ताव:** विद्यालय जो किसी भी प्रतियोगिता की **क्लस्टर/क्षेत्रीय या राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा** को केवल बालकों/बालिकाओं के लिए या दोनों के लिए आयोजित करना चाहते हैं को तुरन्त अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए अपने से संबंधित के.मा.शि.बो. के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित करना चाहिए।
05. **वार्षिक खेलकूद शुल्क:** स्वायत्त श्रेणी के सभी निजी विद्यालय कक्षा X/XII की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की सूची (एल ओसी) उम्मीदवारों की सूची के साथ पंजीकरण शुल्क जमा करते समय केवल रुपये 10000 आवश्यक वार्षिक खेलकूद शुल्क जमा करेंगे। इस संबंध में किसी अन्य भुगतान के माध्यम यथा चैक डिमान्ड ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सेना के विद्यालय, सैनिक विद्यालय, वायु सेना एवं उसी वर्ग के विद्यालय, यथा के० औ० सु० बल, सीमा सुरक्षा बल, आसाम राइफल, राष्ट्रीय थर्मल ऊर्जा निगम और भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड इत्यादि को संबद्धता के उद्देश्य से सरकारी वर्ग के विद्यालय में परिवर्तित किया गया है, नियमित रूप से इस खेलकूद शुल्क को जमा करते रहेंगे।

दिल्ली के वि० वर्ग (विचाराधीन) के विद्यालय के.मा.शि.बो. की खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हैं, जब तक कि वे बोर्ड से अनंतिम संबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते।

बोर्ड से संबद्ध स्वायत्त वर्ग के सभी निजी विद्यालय, उपरोक्त को नोट करेंगे और उक्त प्रतिक्रियात्मक बदलाव का समयानुसार दृढ़ता से अनुपालन करेंगे।

सादर,

जोसफ इमैनुअल  
सचिव